न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : अभिषेक गोयल, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 12/2016 अपील

लक्ष्मण मुतबन्ना केला जी बलाई आयु वयस्क निवासी पाखण्ड तहसील नाथद्वारा।

—अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत पाखण्ड जरिये श्री सरपंच ग्रा0पं0 पाखण्ड तहसील नाथद्वारा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या—1215 आदेश दिनांक 26.09.2009 द्वारा ग्राम पंचायत पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा अन्तर्गत धारा—75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता अपीलाण्ट

: : **निर्णय** : :

दिनांक :—24.02.2020

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील ग्राम पंचायत पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा के नामान्तरण संख्या 1215 आदेश दिनांक 06.09.2009 पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर मेरे पक्ष मे दायर किया गया एवं भू0 अ0 निरीक्षक की जांच दिनांक 07.09.2009 भी मेरे पक्ष मे होने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.09.2009 को कब्जा नही बताकर बिना किसी कोरम के उक्त नामान्तरकरण खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत पाखण्ड का अपीलान्तर्गत आदेश तथ्यो एवं दस्तावेज के अनुसार सर्वथा विपरित है। पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कही पर भी यह नही दर्शाया है कि भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा नही है। विवादित भूमि उदा पिता केला एवं नाथी बेवा केला के नाम दर्ज थी जिसमे उदा पिता केला की पूर्व मे ही मृत्यु हो चुकी थी तथा नाथी बाई ने अपने जीवनकाल मे मुझ अपीलान्ट को गोद रखा तथा गोदनामा भी उप पंजीयक कार्यालय नाथद्वारा मे रजिस्टर्ड करवाया। श्रीमती नाथी बाई की मृत्यु हो जाने पर रजिस्टर्ड गोदनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी हल्का को दिये जाने पर उनके द्वारा उक्त नामान्तरकरण दायर किया जिसे ग्राम पंचायत ने मनमकसूद निर्णय कर खारिज कर दिया जिसका उन्हे अधिकार नहीं था। अपीलान्ट का विधिवत् पंजीकृत दस्तावेज के आधार कब्जा होने के बावजूद उसे सुनवाई का उचित एवं पर्याप्त अवसर नही देकर उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जो विधि के सर्वथा विपरीत है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट ने उक्त भूमि अपने खाते कराने तहसील नाथद्वारा मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) एल.आर.

एक्ट में पेश किया तो दिनांक 16.09.2016 के निर्णय से पता चला कि पूर्व मे ना0क0 1215 खारिज किया जा चुका है जिससे अपील का कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्रा0पं0 पाखण्ड द्वारा निर्णित ना0क0 सं. 1215 दिनांक 26.09.2009 के आदेश को अपास्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट ने अपील के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब की माफी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रा0 पत्र भी अपील के साथ पेश किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को मयाद में शुमार किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत पाखण्ड ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामे का जो नामान्तरण खारिज किया गया वह नियम विरूद्ध होकर गलत है। अतः निवेदन है कि पुनः गोदनामे से लक्ष्मण मुतबन्ना केला के नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करावे। ग्राम पंचायत, पाखण्ड इससे सहमत है कि आराजी सं. 3628/3423 पर कब्जा भी लक्ष्मण मुतबन्ना केला का ही है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी एक तरफा बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि पत्रावली पर पेश रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 24.01.2002 की छायाप्रति अनुसार अपीलान्ट नाथी बाई बेवा केला का दत्तक पुत्र है एवं राजस्व ग्राम पाखण्ड की आराजी सं. 3628/3423 पर कब्जा भी लक्ष्मण मुतबन्ना केला का ही है। अतः अपील अपीालान्ट स्वीकार की जाकर ग्रा0प0 पाखण्ड द्वारा निर्णित ना0क0 संख्या 1215 दिनांक 26.09.2009 के आदेश को अपास्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्रा0प0 पाखण्ड द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 1215 दिनांक 06.09.2009 से यह स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम पाखण्ड की आराजी सं. 3628/3423 मे उदा पिता केला नाथी बेवा केला बलाई सा. देह गैर खातेदार के बजाय उदा पिता केला लक्ष्मण मुतबना केला बलाई सा. देह गैर खातेदार दर्ज हुये है।

राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अनुसार यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार सक्षम हो तो नियमानुसार निर्णय करेगा तथा सक्षम नही हो तो सक्षम अधिकारी के पास निर्णय हेतु भेज देगा। परन्तु सरपंच, ग्राम पंचायत पाखण्ड ने विवादास्पद मामले को उक्त धारा के अन्तर्गत तहसीलदार को हस्तान्तरित किये बगैर ही प्रार्थी का कब्जा नही बताकर अपने निर्णय दिनांक 26.09.2009 द्वारा नामान्तरकरण सं. 1215 खारिज कर दिया गया जबकि उक्त धारा के अर्न्तगत सरपंच, ग्राम पंचायत पाखण्ड को नामान्तरण खारिज करने का अधिकार नही है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण से अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है :–

<u>आदेश</u>

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1215 आदेश दिनांक 26.09.2009 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा को प्रतिप्रेषित् कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक केला बलाई के विधिक वारिसों की जांच कर नये सीरे से नामान्तरकरण पारित करें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **24.02.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2020.03.03 15:41:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: